

दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार
(प्रशासन शाखा)

क्रमांक सं./जी.ए/1160/2(ए)/प्रशासन/डी-151

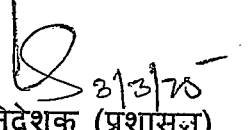
दिनांक: 03.02.2025

अग्रसारित

निम्नलिखित पत्रों की प्रति सूचनार्थ एवं आगे की आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रेषित की जाती है:-

क्र. स.	विभाग का नाम	परिपत्र संख्या और दिनांक	विषय
1.	भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, 2-ए, पृथ्वीराज रोड नई दिल्ली-110011.	सं. 19013/1/2024/केंहिंप्रसं/837-1536 दिनांक 16.10.2024	संघ सरकार के मंत्रालयों, विभागों, कार्यालयों, प्राधिकृत / सांविधिक निकायों, निगमों, उपक्रमों, राष्ट्रीयकृत बैंकों आदि के अधिकारियों /कर्मचारियों के लिए वर्ष 2025 में चलाये जाने वाले हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण एवं हिंदी आशुलिपि का अल्पावधि गहन ऑफलाइन (शारीरिक) प्रशिक्षण कार्यक्रम ।

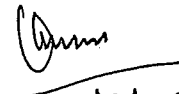
संलग्न:- ऊपरोक्त अनुसार


उप. निदेशक (प्रशासन)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ अग्रसरित:-

1. निजी सचिव(मुख्य कार्यकारी अधिकारी), दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड सूचनार्थ हेतु प्रस्तुत।
2. निजी सचिव/ सदस्य(प्रशा./इंजी./वित्त) सूचनार्थ हेतु प्रस्तुत।
3. सभी अधीक्षण अभियंता / अधिशाषी अभियंता /समन्वयक।
4. सभी प्रधान निदेशक/निदेशक/उप निदेशक(दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड)।
5. बजट और निधि अधिकारी/ उप मुख्य लेखा-1&II
6. सक्षम प्राधिकारी, तीस हजारी न्यायालय।
7. उप निदेशक(आईटी/सिस्टम) - दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड वेबसाइट पोर्टल पर अपलोड करें।
8. कार्यालय प्रति/गार्ड फाईल।

AD (IT)


5/3/25

SP
5/3/25

Programmer

दिनांक : 16 अक्टूबर, 2024

सेवा में

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग/संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालय
2. विभागाध्यक्ष, सभी सार्वजनिक प्रतिष्ठान/उपक्रम/उद्यम/स्वायत्तशासी तथा सांविधिक निकाय/राष्ट्रीयकृत बैंक आदि
3. राजभाषा सेवा के सभी अधिकारी

विषय : संघ सरकार के मंत्रालयों, विभागों, कार्यालयों, स्वायत्तशासी/सांविधिक निकायों, निगमों, उपक्रमों, राष्ट्रीयकृत बैंकों आदि के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए वर्ष 2025 में चलाए जाने वाले हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण और हिंदी आशुलिपि के अल्पकालिक गहन ऑफलाइन (फिजीकल) प्रशिक्षण कार्यक्रम।

महोदय/महोदया,

केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान के अंतर्गत वर्ष 2025 में हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण एवं हिंदी आशुलिपि के अल्पकालिक गहन ऑफलाइन (फिजीकल) प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाने हैं। हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण एवं हिंदी आशुलिपि प्रशिक्षण के प्रमुख बिंदु निम्नलिखित हैं -

प्रशिक्षण की संक्षिप्त जानकारी

हिंदी आशुलिपि

पाठ्यक्रम का नाम	प्रशिक्षण की अवधि	पात्रता	हिंदी में योग्यता
हिंदी आशुलिपि	अनुलग्नक 1 के अनुसार	केवल उन्हीं अधिकारियों/कर्मचारियों को हिंदी आशुलिपि प्रशिक्षण में प्रवेश दिया जाएगा जिन्होंने अभी तक हिंदी आशुलिपि का प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया है। अनिवार्य: सभी वर्ग के अंग्रेजी आशुलिपिकों, वैयक्तिक सहायकों, निजी सचिवों हेतु। स्वैच्छिक: अवर श्रेणी लिपिकों/कनिष्ठ सचिवालय सहायकों/टंककों हेतु	हिंदी के साथ मैट्रिक या उसके समकक्ष अन्य कोई परीक्षा जैसे हिंदी शिक्षण योजना की प्राज परीक्षा।

* हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण जानने वाले अवर श्रेणी लिपिकों/कनिष्ठ सचिवालय सहायकों/टंककों को भी हिंदी आशुलिपि कक्षाओं में स्वैच्छिक आधार पर नामांकित किया जा सकता है और कक्षाओं में स्थान रिक्त होने पर प्रवेश दिया जा सकता है, बशर्ते संबंधित विभाग/कार्यालय द्वारा यह प्रमाणित कर दिया जाए कि उस कर्मचारी की हिंदी आशुलिपि में प्रवीणता का कार्यालय के कार्य में उपयोग किया जाएगा। ऐसे कर्मचारी हिंदी शिक्षण योजना की हिंदी आशुलिपि परीक्षा उत्तीर्ण करने पर किसी भी प्रकार के वित्तीय लाभ के हकदार नहीं होंगे।

हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण

पाठ्यक्रम का नाम	प्रशिक्षण की अवधि	पात्रता	हिंदी में योग्यता
हिंदी शब्द संसाधन/ हिंदी टंकण	अनुलग्नक 1 के अनुसार	केवल उन्हीं अधिकारियों/ कर्मचारियों को कंप्यूटर पर हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण प्रशिक्षण में प्रवेश दिया जाएगा जिन्होंने अभी तक हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण का प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया है। अनिवार्य : सभी अंग्रेजी टंककों/कनिष्ठ सचिवालय सहायकों/ अवर श्रेणी लिपिकों, डाक विभाग में डाक सहायकों एवं कार्यालय सहायकों, रेल डाक सेवा में छंटाई सहायकों, कार्यालय सहायकों, दूरसंचार विभाग में दूरसंचार सहायकों, आयकर तथा कस्टम एवं एक्साइज विभाग में कर सहायकों, विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/ कार्यालयों में कंप्यूटर ऑपरेटर्स, डाटा एंट्री ऑपरेटर्स आदि के लिए, इसके अलावा इसमें ग्रुप 'ग' के वे कर्मचारी भी शामिल होंगे जो इसी प्रकृति का कार्य करते हैं और जिनके भिन्न पदनाम और भिन्न वेतनमान हैं। स्वैच्छिक : 1. वर्तमान में सहायकों/सहायक अनुभाग अधिकारियों, उच्च (प्रवर) श्रेणी लिपिकों/वरिष्ठ सचिवालय सहायकों तथा हिंदी अनुवादकों/ कनिष्ठ अनुवाद अधिकारियों/ वरिष्ठ अनुवाद अधिकारियों (अराजपत्रित) के लिए हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण का प्रशिक्षण अनिवार्य नहीं है, अतः इन्हें हिंदी शिक्षण योजना की हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण की कक्षाओं में स्वैच्छिक आधार पर नामित किया जा सकता है और इन्हें कक्षाओं में रिक्त स्थान होने पर प्रवेश दिया जा सकता है। ये कर्मचारी हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण की परीक्षा उत्तीर्ण करने पर सभी प्रकार के वित्तीय लाभ/वित्तीय प्रोत्साहन आदि के हकदार होंगे, जैसे कि - वैयक्तिक वेतन, नकद पुरस्कार एवं एकमुश्त पुरस्कार आदि। 2. सभी वर्ग के अधिकारियों, जिनके लिए हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण का प्रशिक्षण अनिवार्य नहीं है, किंतु उपयोगी है, को स्वैच्छिक आधार पर नामित किया जा सकता है और स्थान उपलब्ध होने पर उन्हें कक्षाओं में प्रवेश दिया जा सकता है, किंतु वर्तमान में वे अधिकारी प्रशिक्षण के उपरांत हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण की परीक्षा पास करने पर किसी भी प्रकार के वित्तीय लाभ/वित्तीय प्रोत्साहन आदि के हकदार नहीं होंगे, जैसे कि वैयक्तिक वेतन, नगद पुरस्कार एवं एकमुश्त पुरस्कार आदि।	हिंदी के साथ मिडिल (आठवीं) या उसके समकक्ष अन्य कोई परीक्षा जैसे हिंदी शिक्षण योजना की प्रवीण परीक्षा।

केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान और हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत दिए जाने वाले प्रशिक्षण पाठ्यक्रम एक समान हैं, परंतु ये प्रशिक्षण पाठ्यक्रम अल्पकालिक गहन होने के कारण इनकी नियमित रूप से पूर्णकालिक कक्षाएं आयोजित की जाती हैं। इन प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में प्रतिदिन प्रातः 9.30 बजे से सायं 6.00 बजे तक प्रशिक्षण केंद्र पर प्रशिक्षार्थी प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं।

उप संस्थान

हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण एवं हिंदी आशुलिपि के अल्पकालिक गहन प्रशिक्षण कार्यक्रम केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली के अतिरिक्त कोलकाता, सिकंदराबाद, बंगलुरु तथा मुंबई उप संस्थानों में भी चलाए जाते हैं। इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विस्तृत विवरण अनुलग्नक-I में दिया गया है।

प्रवेश का आधार

- पाठ्यक्रम में प्रवेश 'प्रथम आओ, प्रथम पाओ' के आधार पर दिया जाएगा।

वित्तीय प्रोत्साहन

- हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण एवं हिंदी आशुलिपि परीक्षा पास करने पर, केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों को निर्धारित शर्तें पूरी करने पर 12 महीने की अवधि के लिए एक वेतनवृद्धि के बराबर राशि का वैयक्तिक वेतन प्रदान किया जाता है। जिन आशुलिपिकों की मातृभाषा हिंदी नहीं है, उन्हें हिंदी आशुलिपि की परीक्षा पास करने पर दो वेतनवृद्धियों के बराबर वैयक्तिक वेतन दिया जाता है।
- राजपत्रित आशुलिपिकों को 75 प्रतिशत एवं अराजपत्रित आशुलिपिकों को 70 प्रतिशत या अधिक अंक लेकर हिंदी आशुलिपि की परीक्षा उत्तीर्ण करने पर ही वैयक्तिक वेतन दिया जाता है।
- हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण एवं हिंदी आशुलिपि का प्रशिक्षण प्राप्त कर परीक्षा पास करने और निर्धारित शर्तें पूरी करने पर केंद्रीय सरकार के कर्मचारी अधोलिखित तालिका के अनुसार नगद पुरस्कार पाने के भी हकदार होंगे। वैयक्तिक वेतन/नगद पुरस्कार आदि का भुगतान संबंधित कार्यालयों द्वारा ही किया जाता है:-

हिंदी आशुलिपि

1	95 प्रतिशत या इससे अधिक अंक प्राप्त करने पर	₹ 2400/-
2	92 प्रतिशत या इससे अधिक परंतु 95 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने पर	₹ 1600/-
3	88 प्रतिशत या इससे अधिक परंतु 92 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने पर	₹ 800/-

हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण

1	97 प्रतिशत या इससे अधिक अंक प्राप्त करने पर	₹ 2400/-
2	95 प्रतिशत या इससे अधिक परंतु 97 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने पर	₹ 1600/-
3	90 प्रतिशत या इससे अधिक परंतु 95 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने पर	₹ 800/-

परीक्षा शुल्क

- ये प्रशिक्षण पाठ्यक्रम निःशुल्क हैं, किंतु केंद्र सरकार के निगमों/निकायों/उपक्रमों तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों आदि के कर्मचारियों के लिए प्रति कर्मचारी ₹100/- की दर से परीक्षा शुल्क देय है। शुल्क का भुगतान अनुलग्नक-III पर उल्लिखित विधि के अनुसार "उप निदेशक (परीक्षा), हिंदी शिक्षण योजना", नई दिल्ली/Deputy Director (Exam.), Hindi Teaching Scheme, New Delhi को ऑनलाइन किया जा सकता है।

छात्रावास

नई दिल्ली स्थित संस्थान में सीमित संख्या में प्रशिक्षार्थियों के ठहरने के लिए छात्रावास की व्यवस्था है, लेकिन नई दिल्ली से बाहर स्थित उप संस्थानों में छात्रावास की कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिए वहाँ प्रशिक्षार्थियों को अपने ठहरने आदि की व्यवस्था स्वयं करनी होगी।

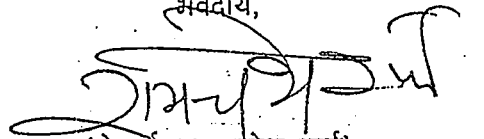
नामांकन विधि

- केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली तथा कोलकाता, सिकंदराबाद, बंगलुरु एवं मुंबई स्थित उप संस्थानों के पते अनुलग्नक-11 में दिए गए हैं।
- अनुरोध है कि अपने कार्यालय के अधिकारियों/कर्मचारियों के नाम यथाशीघ्र इस कार्यालय को तथा अपने क्षेत्र में स्थित उप संस्थान के प्रभारी सहायक निदेशक (ट/आ) को सीधे भिजवाने का कष्ट करें। कृपया उन्हीं अधिकारियों/कर्मचारियों को नामित करें जिन्हें पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु निश्चित रूप से कार्यमुक्त किया जा सके।
- पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने के बाद किसी भी परिस्थिति में कर्मचारी को सत्र के मध्य में कार्यमुक्त नहीं किया जाएगा। कृपया ध्यान रखें कि संबंधित केंद्र के सहायक निदेशक से पुष्टि प्राप्त होने पर ही अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रशिक्षण के लिए भेजा जाए।
- इस संबंध में पत्र व्यवहार करते समय अपने कार्यालय का पूरा पता, दूरभाष संख्या और email का पता अवश्य लिखें, जिससे संपर्क करने में इस कार्यालय को सुविधा हो।

विशेष

- सभी मंत्रालयों, विभागों, उपक्रमों, बैंकों, निगमों आदि के प्रशासनिक प्रमुखों से अनुरोध है कि इस परिपत्र को सभी संबद्ध कार्यालयों/इकाइयों/शाखाओं में शीघ्र परिचालित करवाने का कष्ट करें।
- यह सुनिश्चित करना संबंधित कार्यालय के प्रशासनिक प्रधान का दायित्व है, कि कार्मिकों को अधिक से अधिक संख्या में प्रशिक्षण हेतु नामित किया जाए, नामित कर्मचारी कक्षाओं में निश्चित रूप से प्रवेश लें, कक्षाओं में नियमित रूप से उपस्थित रहें और अनिवार्य रूप से परीक्षा में भी सम्मिलित हों, ताकि प्रशिक्षण के लिए उपलब्ध सरकारी संसाधनों का पूर्ण सदुपयोग हो सके और निर्धारित समय में प्रशिक्षण लक्ष्य प्राप्त किए जा सकें।
- प्रशिक्षण से संबंधित अन्य वांछित जानकारी ई-मेल tsgahan-ctti-dol@gov.in द्वारा भी प्राप्त की जा सकती है।

भवदीय,

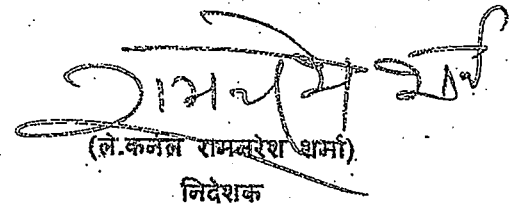

(ले.कर्नल रामनरेश शर्मा)
निदेशक

न संख्या-19013/1/2024-केहिप्रसं/837-1536

दिनांक :

प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित :

1. सचिव (राजभाषा) के वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, एन.डी.सी.सी. भवन, नई दिल्ली-110001.
2. संयुक्त सचिव (राजभाषा) के निजी सचिव, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, एन.डी.सी.सी. भवन, नई दिल्ली-110001.
3. निदेशक (सेवा), राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय एन.डी.सी.सी. भवन, नई दिल्ली-110001.
4. निदेशक (तकनीकी), राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, एन.डी.सी.सी. भवन, चौथा तल, जयसिंह रोड, नई दिल्ली-110001.
5. निदेशक (अनुसंधान), राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, एन.डी.सी.सी. भवन, चौथा तल, जयसिंह रोड, नई दिल्ली-110001.
6. निदेशक (प्रशिक्षण), राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, एन.डी.सी.सी. भवन, चौथा तल, जयसिंह रोड, नई दिल्ली-110001.
7. निदेशक, केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो, अंत्योदय भवन, नई दिल्ली।
8. संपादक, राजभाषा भारती, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, एन.डी.सी.सी. भवन, चौथा तल, जयसिंह रोड, नई दिल्ली-110001.
9. निदेशक (राजभाषा), रेलवे बोर्ड, रेल मंत्रालय, रेल भवन, नई दिल्ली।
10. संयुक्त निदेशक (टं/आशु.), केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली।
11. संयुक्त निदेशक (भाषा) हिंदी शिक्षण योजना, नई दिल्ली।
12. उप निदेशक (कार्यान्वयन), राजभाषा विभाग, नई दिल्ली, मुम्बई, बेंगलुरु, कोलकाता, भोपाल, कोचीन, गुवाहाटी तथा गाजियाबाद।
13. उप निदेशक (भाषा)परीक्षा/मध्योत्तर/पूर्व/पूर्वोत्तर/दक्षिण/पश्चिम क्षेत्र, नईदिल्ली/कोलकाता/गुवाहाटी/चेन्नई/सिकंदराबाद तथा मुंबई।
14. सहायक निदेशक (टंकण पत्राचार), केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, 2-ए, पृथ्वीराज रोड, नई दिल्ली।
15. उप निदेशक (टंकण/आशुलिपि), हिंदी शिक्षण योजना, आर.के. पुरम, नई दिल्ली।
16. उप निदेशक (टंकण आशुलिपि) हिंदी शिक्षण योजना, पूर्व/पूर्वोत्तर, कोलकाता।
17. प्रशासनिक अधिकारी, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली।
18. सहायक निदेशक (टंकण/आशुलिपि) एवं नोडल अधिकारी (वेबसाइट अपडेट) अनुसंधान एवं विश्लेषण एकक, के.हि.प्र.सं., नई दिल्ली को इस निदेश के परिपत्र को केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान की वेबसाइट पर अपलोड कराने की व्यवस्था करें।
19. सहायक निदेशक (टंकण/आशुलिपि), केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण उप संस्थान, कोलकाता/बेंगलुरु/हैदराबाद तथा मुंबई।
20. सभी सर्वकार्यभारी अधिकारी, हिंदी शिक्षण योजना।
21. सभी नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों के अध्यक्ष।


(ले.कमल रामनरेश शर्मा)
निदेशक

अनु

केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान
राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय

केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली तथा कोलकाता, सिकंदराबाद, बंगलुरु एवं मुंबई स्थित केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण उप-संस्थानों में दिनांक 20.01.2025 से 11.12.2025 तक आयोजित किए जाने वाले हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण एवं हिंदी आशुलिपि के अल्पकालिक गहन प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विवरण।

केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली में आयोजित किए जाने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम

I-हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण

क्र.सं.	प्रशिक्षण कार्यक्रम	प्रशिक्षण की अवधि	प्रशिक्षण की तिथियां	प्रशिक्षण केंद्र का पता
1.	हिंदी श.सं./हि.टंकण	40 कार्यदिवस	20.01.2025 से 18.03.2025	केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान 2-ए, पृथ्वीराज रोड, (जे. एंड के. हाउस के सामने), नई दिल्ली - 110 011
2.	हिंदी श.सं./हि.टंकण	40 कार्यदिवस	28.03.2025 से 28.05.2025	
3.	हिंदी श.सं./हि.टंकण	40 कार्यदिवस	16.06.2025 से 08.08.2025	
4.	हिंदी श.सं./हि.टंकण	40 कार्यदिवस	18.08.2025 से 14.10.2025	
5.	हिंदी श.सं./हि.टंकण	40 कार्यदिवस	15.10.2025 से 11.12.2025	

II-हिंदी आशुलिपि

क्र.सं.	प्रशिक्षण कार्यक्रम	प्रशिक्षण की अवधि	प्रशिक्षण की तिथियां	प्रशिक्षण केंद्र का पता
1.	हिंदी आशुलिपि	80 कार्यदिवस	18.08.2025 से 11.12.2025	केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान 2-ए, पृथ्वीराज रोड, (जे. एंड के. हाउस के सामने), नई दिल्ली - 110 011

कोलकाता/सिकंदराबाद/मुंबई एवं बंगलुरु स्थित उप संस्थानों में आयोजित किए जाने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम

I-हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण

क्र.सं.	प्रशिक्षण कार्यक्रम	प्रशिक्षण की अवधि	प्रशिक्षण की तिथियां
1.	हिंदी श.सं./हि.टंकण	40 कार्यदिवस	20.01.2025 से 18.03.2025
2.	हिंदी श.सं./हि.टंकण	40 कार्यदिवस	28.03.2025 से 28.05.2025
3.	हिंदी श.सं./हि.टंकण	40 कार्यदिवस	16.06.2025 से 08.08.2025

II-हिंदी आशुलिपि

क्र.सं.	प्रशिक्षण कार्यक्रम	प्रशिक्षण की अवधि	प्रशिक्षण की तिथियां
1.	हिंदी आशुलिपि	80 कार्यदिवस	18.08.2025 से 11.12.2025

विशेष टिप्पणियाँ

यदि किसी कारणवश किसी प्रशिक्षण केन्द्र पर हिन्दी आशुलिपि गहन प्रशिक्षण कक्षाएँ गठित नहीं हो पाती हैं तो उसके स्थान पर हिन्दी शब्द संसाधन/हिन्दी टंकण गहन प्रशिक्षण कक्षाएँ निम्नलिखित दो सत्रों के लिए गठित एवं संचालित की जाएंगी:-

क्र.सं.	प्रशिक्षण कार्यक्रम	प्रशिक्षण की अवधि	प्रशिक्षण की तिथियां
1.	हिंदी श.सं./हि.टंकण	40 कार्यदिवस	18.08.2025 से 14.10.2025
2.	हिंदी श.सं./हि.टंकण	40 कार्यदिवस	15.10.2025 से 11.12.2025

प्रभारी सहायक निदेशक (टंकण/आशुलिपि)
केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान
राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय
2-ए, पृथ्वीराज रोड, नई दिल्ली 110 011

दूरभाष 011-23793517
फैक्स 011-23018740, मो.नं. 7982955085
ईमेल -tsgahan-ctti-doi@gov.in

उप संस्थानों के पते

1. सहायक निदेशक (टंकण/आशुलिपि)
केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण उप-संस्थान,
राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय,
कमरा नंबर-423, तीसरा तल, 01,
कौंसिल हाउस स्ट्रीट,
कोलकाता-700 001
दूरभाष 033-22304062
मो. 7002900757
ईमेल ctti1067@nic.in
ईमेल dhirajlaladhtsg@gmail.com
2. सहायक निदेशक (टंकण/आशुलिपि)
केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण उप-संस्थान,
राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय,
केंद्रीय सदन, छठी मंजिल, 'सी' विंग 601,
सेक्टर-10, सीवीडी, बेलापुर,
नवी मुंबई-400 614
दूरभाष 022-20871904/27565416
फैक्स 022-27565417
मो. 9990218203
ईमेल-ctti1080-ctti@gov.in
3. सहायक निदेशक (टंकण/आशुलिपि)
केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण उप-संस्थान,
राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय,
चौथा तल, कमरा नंबर-403,
सी.जी.ओ. टॉवर्स, कवाड़ीगुड़ा,
सिकंदराबाद-500 080
दूरभाष 040-24767755/27532299/27537211
फैक्स 040-27538866
मो. 7907638288, 7736365909
E-mail- ctti1068@nic.in
ईमेल-kumarsantoshnfc0788@gmail.com
4. सहायक निदेशक (टंकण/आशुलिपि)
केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण उप-संस्थान,
राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय,
'बी' विंग, 5^म तल,
केंद्रीय सदन, कोरमंगला,
बेंगलुरु - 560034
दूरभाष 080-25537087
मो. 08025537089
ईमेल-ctti1064@nic.in

ऑनलाइन फीस जमा करने के तरीके

स्टेप 1

सबसे पहले भारतीय स्टेट बैंक की वेबसाइट www.onlinebills.com ऑपन करें, फिर STATE BANK COLLECT उप-शीट पर जाएं।

अथवा

भारतीय स्टेट बैंक की वेबसाइट www.onlinebills.com में मुख्य शीट पर STATE BANK OF INDIA पर क्लिक करें, फिर STATE BANK COLLECT नामक उप-शीट पर क्लिक करें एवं सभी शर्तों को स्वीकार करें।

स्टेप 2

STATE OF CORPORATE/INSTITUTION में ALL INDIA का चयन करें, उसके बाद TYPE OF CORPORATE/INSTITUTION में GOVERNMENT DEPARTMENT चुनें एवं GO पर क्लिक करें।

स्टेप 3

GOVERNMENT DEPARTMENT का नाम वाले फॉर्म में पूरा-अर्ध भाग में HINDI TEACHING SCHEME, DEPARTMENT OF OFFICIAL LANGUAGE MHA का चयन करें।

स्टेप 4

SELECT PAYMENT CATEGORY में HINDI TEACHING SCHEME को चुनें, अब एक फॉर्म खुल जाएगा।

स्टेप 5

फॉर्म को भरने के बाद SUBMIT करें, फिर अपने बैंक के अधिकारी को CHURN करने PAYMENT करें।

स्टेप 6

PAYMENT करने के बाद RECEIPT के लिंक की मदद से आप निदेशक (परीक्षा), हिंदी शिक्षण योजना, पूर्वी खंड-7, लेखक-2, रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली-110086 को भेजना अनिवार्य है।